



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 26, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. श्रम कानूनों के तहत 'उद्योग' की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला	2
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) का भारतीय इक्विटी में पुनर्निर्माण	4
3. भारत दक्षिण एशियाई आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता को आगे बढ़ा रहा है	5
4. द्विपक्षीय निवेश संधि: भारत के मॉडल ढांचे पर पुनर्विचार (Bilateral Investment Treaty: Rethinking India's Model Framework)	7
5. सीमा सीमांकन पर भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत (India-China Special Representatives Dialogue on Border Delimitation)	8
6. OBC क्रीमी-लेयर मानदंडों पर विशेष पीठ के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विचार (Supreme Court Consideration of Special Bench on OBC Creamy-Layer Criteria)	9
7. महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के खिलाफ नागरिक समाज का विरोध (Civil Society Opposition to Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026)	11
8. घरेलू रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Transfer of Missile Technology to Domestic Defence Industry)	12
9. नीति आयोग की रिपोर्ट ने सामान्य स्नातक डिग्रियों में रोजगार के कमजोर लिंक को चिह्नित किया (NITI Aayog Report Flags Weak Job Linkages in Generic Undergraduate Degrees)	14
10. सरल खनन कर मॉडल: राजकोषीय युक्तीकरण के माध्यम से राज्य के राजस्व का विस्तार (Simpler Mining Tax Model: Expanding State Revenue Through Fiscal Rationalization)	15
11. CWMA ने कर्नाटक को कावेरी जल आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया (CWMA Directs Karnataka to Comply with Cauvery Water Order)	16
12. सूखा लचीलेपन के वैश्विक दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव (Fundamental Shift in Global Approach to Drought Resilience)	18

1. श्रम कानूनों के तहत 'उद्योग' की परिभाषा पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

मुख्य अंश और सारांश

- **बहुमत का फैसला:** मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत के फैसले में फैसला सुनाया कि पुराने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लंबित श्रम विवाद 1978 की "उद्योग" की परिभाषा का उपयोग करके तय किए जाते रहेंगे।
- **ट्रिपल टेस्ट को बनाए रखना:** अदालत ने 1978 के बेंगलूर वाटर सप्लाई "ट्रिपल टेस्ट" के मुख्य सिद्धांतों को बरकरार रखा, साथ ही इसके अनुप्रयोग को परिष्कृत करते हुए यह मूल्यांकन भी शामिल किया कि क्या वस्तुओं/सेवाओं में व्यापार या व्यवसाय के समान "स्पष्ट वाणिज्यिक चरित्र" है।
- **लाभ का उद्देश्य शामिल नहीं:** किसी संस्था को उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए लाभ कमाना अनिवार्य नहीं है। धर्मादा, विश्वविद्यालय, अस्पताल या सरकारी निकाय होने से कोई संगठन स्वचालित रूप से बाहर या शामिल नहीं हो जाता है।
- **प्रमुख-प्रकृति परीक्षण:** जब कोई संगठन कई तरह के अलग-अलग संचालन करता है, तो अदालतों को प्रमुख-प्रकृति परीक्षण का उपयोग करके गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति का आकलन करना चाहिए।
- **असहमतिपूर्ण विचार:** न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि 1978 के मिसाल को फिर से खोलना अनावश्यक था क्योंकि पुराने कानून को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
- **श्रमिक सुरक्षा उपाय:** यह फैसला लंबित विवादों में मौजूदा श्रमिकों को मनमानी बर्खास्तगी और अनुचित श्रम प्रथाओं से बचाता है, विशेष रूप से गैर-लाभकारी संगठनों, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ट्रिपल टेस्ट:** 1978 में स्थापित एक न्यायिक ढांचा जो यह निर्दिष्ट करता है कि कोई संस्था "उद्योग" के रूप में योग्य होती है यदि वहां व्यवस्थित रूप से संगठित गतिविधि, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग, और वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन/वितरण मौजूद हो।
- **प्रमुख-प्रकृति परीक्षण:** एक कानूनी परीक्षण जिसका उपयोग किसी उद्यम के प्राथमिक कार्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जब वह विविध गतिविधियों में संलग्न होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसका केंद्रीय उद्देश्य श्रम विनियमन के तहत इसकी कानूनी स्थिति तय करे।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक आधार:** राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का अनुच्छेद 39(e) और अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य स्थितियों, न्यायसंगत मजदूरी और श्रमिक सुरक्षा हासिल करने की दिशा में राज्य की कार्यवाई का जनादेश देते हैं। अनुच्छेद 145(3) एक संविधान पीठ (न्यूनतम 5 न्यायाधीश, यहाँ 9 तक विस्तारित) को संविधान या बाध्यकारी नज़ीरों की व्याख्या करने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।
- **वैधानिक कानून:** ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित, और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत वैधानिक समेकन की ओर संक्रमणशील।

निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आधुनिक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए न्यायिक परीक्षणों को परिष्कृत करते हुए चालू विवादों के लिए कानूनी निरंतरता प्रदान करता है और श्रम कल्याण अधिकारों की रक्षा करता है। हालांकि, 1947 के अधिनियम के तहत लंबित मामलों को 2020 की संहिता के तहत भविष्य के विवादों से



अलग करके, यह इस बारे में नई मुकदमेबाजी के लिए गुंजाइश छोड़ता है कि गैर-लाभकारी और कल्याणकारी क्षेत्रों में नई वैधानिक परिभाषाएं कैसे लागू की जाएंगी।

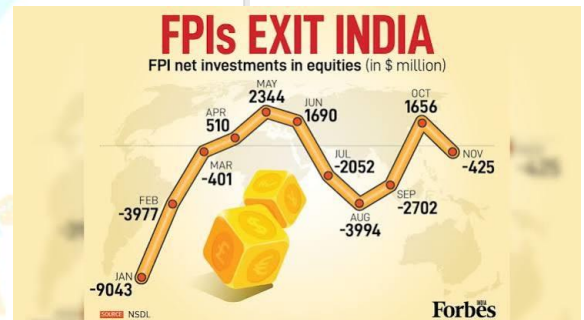
UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक नजीरें; संविधान पीठें; वैधानिक श्रम संहिताओं का हस्तांतरण।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; औद्योगिक संबंध और श्रम नियामक सुधार।

2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) का भारतीय इक्विटी में पुनर्निर्माण

मुख्य अंश और सारांश

- **प्रवाह में उछाल:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने 1 से 24 अगस्त के बीच भारतीय इक्विटी में ₹25,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया, जो सितंबर 2024 के बाद से सबसे मजबूत मासिक प्रवाह है।
- **लगातार खरीदारी का दौर:** जुलाई में ₹20,200 करोड़ के शुद्ध प्रवाह के बाद, अगस्त इस वर्ष लगातार दो महीनों के लिए शुद्ध सकारात्मक खरीदारी का पहला उदाहरण है, जो मार्च में लगभग ₹1.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड मासिक बहिर्वाह से तेज बदलाव को दर्शाता है।
- **चयनित क्षेत्रीय दांव:** निवेश व्यापक बाजार समर्थन का संकेत देने के बजाय सुधारित मूल्यांकन और आय दृश्यता वाले विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित है—जैसे वित्तीय सेवाएं (₹6,535 करोड़), ऑटोमोबाइल (₹4,405 करोड़), और उपभोक्ता सेवाएं (₹3,398 करोड़)।
- **विशिष्ट खंडों में बहिर्वाह:** जहां वित्तीय सेवाओं और ऑटो क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी देखी गई, वहीं इसी अवधि के दौरान कैपिटल गुड्स, पावर और टेलीकॉम क्षेत्रों को निरंतर FPI बिकवाली का सामना करना पड़ा।
- **वैश्विक सावधानी:** घरेलू सुधार के बावजूद, वैश्विक वृद्धि, अमेरिकी बांड प्रतिफल और मूल्यांकन प्रीमियम पर मैक्रोइकॉनॉमिक चिंताओं के कारण बैंक ऑफ अमेरिका के अगस्त सर्वेक्षण में भारत एशिया के सबसे कम पसंदीदा इक्विटी बाजार के रूप में उभरा।
- **घरेलू आय की भूमिका:** मजबूत तिमाही आय परिणामों और हाल की कीमतों में सुधार ने जोखिम-प्रतिफल अनुपात में सुधार किया है, जिससे विदेशी निवेशकों को चयनात्मक रूप से अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI):** विदेशी निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय संपत्तियों से बना निवेश, जो कंपनियों के प्रबंधन या परिचालन निर्णयों पर सीधे नियंत्रण के बिना निष्क्रिय जोत का प्रतिनिधित्व करता है।

- **हॉट मनी:** विदेशी पूंजी जो अल्पकालिक ब्याज दर के अंतर या उच्च परिसंपत्ति रिटर्न का लाभ उठाने के लिए वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से आगे बढ़ती है, जिससे परिसंपत्ति बाजार अचानक पूंजी पलायन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992:** सेबी को विदेशी संस्थागत पोर्टफोलियो निवेशों को विनियमित करने, पंजीकरण मानदंडों को लागू करने और भारत में बाजार की अखंडता को बनाए रखने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019:** परिचालन दिशानिर्देश, श्रेणी-वार वर्गीकरण, निवेश सीमाएं (जैसे सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में 10% एकल-FPI सीमा), और अनिवार्य KYC खुलासे स्थापित करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** मैक्रोइकॉनॉमिक और भुगतान संतुलन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रवाह, सीमा पार इक्विटी आंदोलनों और पोर्टफोलियो निवेश सीमाओं को विनियमित करता है।

निष्कर्ष चुनिंदा क्षेत्रों में FPI प्रवाह का पुनरुद्धार भारत की लचीली कॉरपोरेट आय और रणनीतिक बाजार सुधारों में विदेशी निवेशकों के विश्वास को रेखांकित करता है। हालांकि, चूंकि पूंजी प्रवाह चयनात्मक बना हुआ है और वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक बदलावों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए घरेलू तरलता और नियामक पारदर्शिता बनाए रखना पूंजी बाजार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दे; सेबी के तहत वित्तीय बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार नियमन।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बनाम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI), बाह्य क्षेत्र प्रबंधन, और सीमा पार पूंजी प्रवाह से प्रभावित रुपये की अस्थिरता।

3. भारत दक्षिण एशियाई आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय व्यापार गतिशीलता को आगे बढ़ा रहा है

मुख्य अंश और सारांश

- **क्षेत्रीय वृद्धि का इंजन:** दक्षिण एशिया की जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भारत की हिस्सेदारी 80%-90% है, जो वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितताओं के बावजूद क्षेत्रीय आर्थिक विस्तार के प्राथमिक चालक के रूप में कार्य कर रहा है।
- **विकास पूर्वानुमान में संशोधन:** विश्व बैंक ने मजबूत Q1 आर्थिक प्रदर्शन से प्रेरित होकर भारत के विकास पूर्वानुमान को जनवरी में 6.5% से बढ़ाकर जून में 6.6% कर दिया।
- **सुस्त निर्यात वृद्धि:** "चीन+1" विविधीकरण रणनीति के तहत वियतनाम (17% वृद्धि) और कंबोडिया (14.6% वृद्धि) जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में वित्त वर्ष 2026 में भारतीय माल का निर्यात 0.86% की मामूली वृद्धि के साथ \$441.45 बिलियन रहा।

- **अत्यधिक कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार:** दक्षिण एशियाई अंतर-क्षेत्रीय व्यापार क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% है, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (3%) जैसे अन्य विकासशील क्षेत्रों से काफी कम है।
- **कम व्यापार एकीकरण:** अधिकांश दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएं व्यापार-से-जीडीपी अनुपात के मामले में विकासशील देशों के सबसे निचले चतुर्थक में आती हैं, जो अत्यधिक बंद क्षेत्रीय बाजार संरचना को दर्शाती हैं।
- **एआई परिवर्तन की क्षमता:** दक्षिण एशिया में लगभग 22% नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के संपर्क में हैं, जिनमें से 15% को उत्पादकता बढ़ाने वाले पूरक उपकरण के रूप में एआई से लाभ हो रहा है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **चीन+1 रणनीति:** एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रणनीति जहां व्यवसाय भारत, वियतनाम और कंबोडिया जैसे वैकल्पिक विनिर्माण केंद्रों में निवेश करके चीन से परे परिचालन का विविधीकरण करते हैं।
- **अंतर-क्षेत्रीय व्यापार अनुपात:** एक परिभाषित भौगोलिक ब्लॉक के भीतर पड़ोसी देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, जिसे उस क्षेत्र के कुल व्यापार या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** अंतरराष्ट्रीय संधियों, व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय वाणिज्यिक समझौतों को लागू करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को विशेष विधायी अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP) और बाह्य आर्थिक जुड़ाव को विकसित करने, विनियमित करने और निष्पादित करने के लिए वैधानिक संरचना प्रदान करता है।
- **दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA), 2004:** सार्क (SAARC) सदस्य देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय शुल्कों को कम करने और आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया बहुपक्षीय ढांचा।

निष्कर्ष यद्यपि भारत दक्षिण एशिया के आर्थिक पथ को शक्ति प्रदान करना जारी रखता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का लाभ उठाने के लिए घरेलू व्यापार बाधाओं को कम करने और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक और लचीले क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक संबंधों को गहरा करने के साथ-साथ एआई जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना आवश्यक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

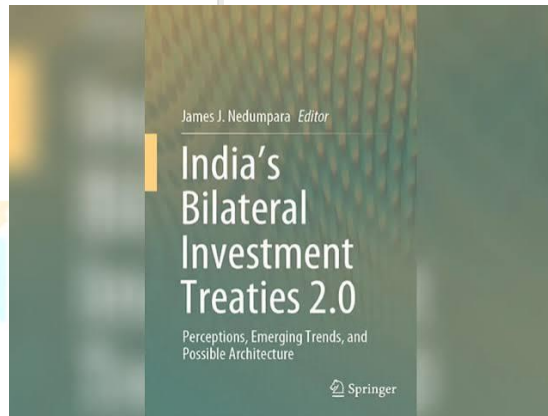
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय समूह और समझौते (SAARC, SAFTA, BIMSTEC)।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; विदेश व्यापार नीति, निर्यात और श्रम बाजार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव।



4. द्विपक्षीय निवेश संधि: भारत के मॉडल ढांचे पर पुनर्विचार (Bilateral Investment Treaty: Rethinking India's Model Framework)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सुधार के लिए दबाव:** 2025-26 और 2026-27 के केंद्रीय बजटों में विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करने और विदेशी एवं घरेलू पूंजी के लिए निवेशक-अनुकूल निवेश ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमित भूमिका:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 2% है, जबकि घरेलू सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) 30% के करीब है, जो यह रेखांकित करता है कि घरेलू पूंजी का पोषण करना FDI को आकर्षित करने जितना ही महत्वपूर्ण है।
- 2015 के मॉडल BIT में कमियां:** 2015 का मॉडल BIT उच्च-जोखिम वाले अंतरराष्ट्रीय नुकसानों (जैसे, भूतलक्षी कर मामलों और एंट्रिक्स-देवास विवाद) के बाद निवेशक-राज्य विवाद समाधान (ISDS) जोखिमों को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि, 5 वर्षों के लिए घरेलू उपचारों को समाप्त करने की इसकी कठोर आवश्यकता ने इसे अत्यधिक रक्षात्मक बना दिया और बातचीत में देरी हुई।
- ब्राजील का विकल्प:** ब्राजील के साथ भारत की निवेश सहकारिता और सुविधा संधि पारंपरिक ISDS का एक विकल्प प्रदान करती है, जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता को अंतिम उपाय के रूप में रखते हुए विवाद रोकथाम के लिए एक संयुक्त राज्य समिति और एक राष्ट्रीय लोकपाल पर निर्भर करती है।
- ISDS और FDI का पृथक्करण:** अनुभवजन्य साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि ISDS की अनुपस्थिति या पुराने BIT की समाप्ति से FDI अंतर्वाह में स्वाभाविक रूप से गिरावट नहीं आती है; नीतिगत स्थिरता और घरेलू शासन निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हैं।
- संतुलित ढांचा:** मॉडल BIT का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए तदर्थ अपतटीय न्यायाधिकरणों से दूर होकर राज्य-से-राज्य मध्यस्थता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे विदेशी निवेशकों को अलग-थलग किए बिना संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जा सके।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty - BIT):** दो देशों के बीच एक समझौता जो एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निजी निवेश के नियम और शर्तें स्थापित करता है।
- निवेशक-राज्य विवाद समाधान (Investor-State Dispute Settlement - ISDS):** एक तटस्थ, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र जो विदेशी निवेशकों को संप्रभु मेजबान देश के खिलाफ सीधे विवाद की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 253:** संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।
- संविधान का अनुच्छेद 298:** संघ और राज्य सरकारों को व्यापार करने, अनुबंध करने और संपत्ति हासिल करने का अधिकार देता है।

- **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:** भारत में घरेलू और वाणिज्यिक मध्यस्थता को विनियमित करता है, जो विदेशी और घरेलू मध्यस्थता निर्णयों के प्रवर्तन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत के विदेशी निवेश परिदृश्य को रक्षात्मक जोखिम शमन से सक्रिय निवेश सुविधा की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ब्राजील समझौते जैसे वैकल्पिक मॉडल अपनाना—जो राज्य-स्तरीय लोकपालों और घरेलू कानूनी प्रणालियों पर केंद्रित हैं—संप्रभु नियामक स्थान की रक्षा कर सकता है, महंगी अंतरराष्ट्रीय मुकदमेबाजी को रोक सकता है और निवेशकों का विश्वास बनाए रख सकता है।

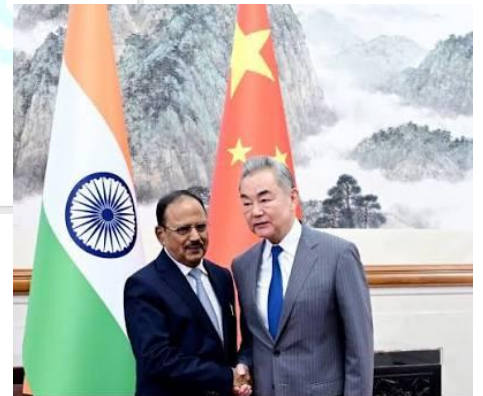
UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते; विवाद निवारण तंत्र; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—संसाधनों को जुटाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को नियंत्रित करने वाले नियामक सुधार।

5. सीमा सीमांकन पर भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत (India-China Special Representatives Dialogue on Border Delimitation)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **SR वार्ता का 25वां दौर:** राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों (SR) की वार्ता के 25वें दौर का आयोजन किया।
- **सीमा सीमांकन पर ध्यान केंद्रित:** दोनों देशों ने विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के हिस्सों के सीमांकन और राजनीतिक समाधान ढांचे को स्थापित करने की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाने पर गहन चर्चा की।
- **शांति और शांति का जनादेश:** प्रतिनिधिमंडल ने पुष्टि की कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और पारस्परिक विश्वास बनाए रखना व्यापक द्विपक्षीय सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए मौलिक आधार बना हुआ है।
- **संस्थागत तंत्र और अर्ली हार्वेस्ट:** बातचीत सीमा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने, विवाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार करने और विशिष्ट क्षेत्रों में "अर्ली हार्वेस्ट" सीमांकन के लिए कार्य समूहों को चालू करने पर केंद्रित थी।
- **सीमा पार सहकारिता:** चर्चाओं में द्विपक्षीय जुड़ाव का विस्तार करने, सीमा पार नदी डेटा साझाकरण बनाए रखने और सीमा पार जल प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र को पुनर्जीवित करने को शामिल किया गया।
- **उच्च स्तरीय जुड़ाव पाइपलाइन:** यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व निर्देशों के साथ संरेखित है, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आगामी बहुपक्षीय मंचों से पहले एक रचनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control - LAC):** भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली 3,488 किमी की सीमांकन रेखा, जो मोटे तौर पर पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल/उत्तराखंड), और पूर्वी (अरुणाचल/सिक्किम) क्षेत्रों में विभाजित है।
- **विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र:** सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य राजनीतिक समाधान की तलाश के लिए भारत और चीन के बीच 2003 में स्थापित एक द्विपक्षीय संस्थागत ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों के साथ निष्पादित अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों को लागू करने वाले कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति की रूपरेखा तैयार करता है, जिसका विस्तार सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों, संधि वार्ता और राजनयिक जुड़ाव तक है।
- **1993, 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते:** LAC के साथ विश्वास निर्माण उपायों (CBMs), राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांतों (2005), और सैन्य विघटन मापदंडों को स्थापित करने वाले प्रमुख कानूनी प्रोटोकॉल।

निष्कर्ष (Conclusion)

25वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता संरचित राजनयिक जुड़ाव के माध्यम से भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। LAC पर शांति बनाए रखते हुए सीमा सीमांकन को प्राथमिकता देना रणनीतिक स्पष्टता सुनिश्चित करता है, परिचालन घर्षण को कम करता है और लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** भारत और उसके पड़ोसी संबंध; भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा तंत्र के बीच संबंध।

6. OBC क्रीमी-लेयर मानदंडों पर विशेष पीठ के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विचार

(Supreme Court Consideration of Special Bench on OBC Creamy-Layer Criteria)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **विशेष पीठ का अनुरोध:** सर्वोच्च न्यायालय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए OBC क्रीमी-लेयर मानदंडों पर अपने 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई हेतु एक विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने के लिए सहमत हुआ।

- **2025 के उम्मीदवारों पर आवेदन:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने फैसले से पहले के धन/आय मानदंडों के आधार पर 958 UPSC-अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए सेवा आवंटन के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी मांगी।
- **रोहित नाथन मामले की नजीर:** केंद्र की स्पष्टीकरण याचिका 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन' मामले से उत्पन्न हुई है, जिसने निर्देश दिया था कि पैतृक वेतन आय को OBC उम्मीदवारों को बाहर करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।
- **भूतलक्षी प्रभाव पर चिंताएं:** DoPT ने आगाह किया कि भूतलक्षी कार्यान्वयन से व्यापक विवाद उत्पन्न होंगे और 2012 से विभिन्न श्रेणियों में तय किए गए सेवा आवंटन अस्थिर हो जाएंगे।
- **अतिरिक्त पदों (Supernumerary Posts) का जनादेश:** 11 मार्च के फैसले में केंद्र को केवल पैतृक वेतन गणना के कारण OBC आरक्षण से वंचित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त पद बनाने का आदेश दिया गया था।
- **वरिष्ठता परिदृश्य का व्यवधान:** सरकार ने जोर देकर कहा कि नए मानदंडों को भूतलक्षी रूप से लागू करने से तय प्रशासनिक वरिष्ठता परिदृश्य बदल जाएगा और पिछली भर्तियां मुकदमेबाजी के लिए खुल जाएंगी।



Creamy layer: Centre asks Supreme Court to clarify its order to consider claims of 100-odd OBC candidates



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **क्रीमी लेयर (Creamy Layer):** अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर एक सामाजिक और आर्थिक अपवर्जन तंत्र जो पैतृक स्थिति या गैर-वेतन आय सीमाओं के आधार पर सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से वंचित करता है।
- **अतिरिक्त पद (Supernumerary Posts):** अधिकारों की रक्षा करने या न्यायिक निर्देशों से प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए किसी कैडर की स्वीकृत संख्या से अधिक बनाए गए अस्थायी पद।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो आरक्षण लाभों के संबंध में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों के बीच प्रतिकूल भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 16(4):** राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- **1993 का DoPT कार्यालय ज्ञापन:** पैतृक व्यावसायिक स्थिति को प्राथमिकता देते हुए और सामान्य आय परीक्षण से वेतन एवं कृषि आय को बाहर रखते हुए, क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मूलभूत मानदंड स्थापित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

विशेष पीठ के गठन पर सर्वोच्च न्यायालय का विचार विमर्श OBC आरक्षण में संवैधानिक समानता लागू करने और सार्वजनिक भर्ती में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। क्रीमी-लेयर निर्धारण पद्धति को हल करना वास्तविक लाभार्थियों की रक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि तय सिविल सेवा आवंटन पर लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी को रोका जा सकता है।

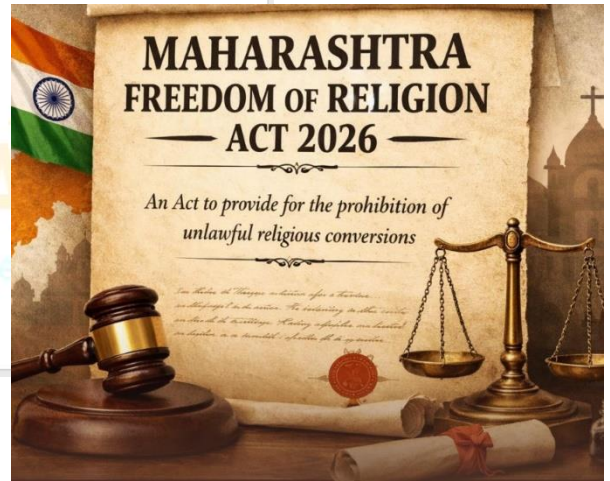
UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: भारतीय संविधान—संरचनात्मक विशेषताएं, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16), और आरक्षण नीति ढांचा।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: शासन—सिविल सेवाओं की भूमिका, UPSC की कार्यप्रणाली, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशानिर्देश, और प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा।

7. महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 के खिलाफ नागरिक समाज का विरोध (Civil Society Opposition to Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नागरिक समाज का विरोध:** महिला संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और धार्मिक संगठनों के एक व्यापक गठबंधन, संयुक्त नागरिक समाज (Joint Civil Society) ने महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 पर रोक लगाने की मांग करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।
- अनाधिकार राज्य निगरानी:** कार्यकर्ताओं ने रेखांकित किया कि अनिवार्य पूर्व सूचनाओं, घोषणाओं और पुलिस पूछताछ की आवश्यकताएं आस्था और अंतर-धार्मिक विवाह से संबंधित व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को राज्य की निगरानी का विषय बना देती हैं।
- प्रलोभन (Allurement) की व्यापक परिभाषा:** विरोधियों ने "प्रलोभन" की अस्पष्ट परिभाषाओं पर चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे वैध धर्मार्थ, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को अपराधी ठहराया जा सकता है।
- सबूत के बोझ का उलटाव (Reversal of Burden of Proof):** यह कानून यह साबित करने का कानूनी दायित्व आरोपी पर डालता है कि धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी या जबरन नहीं था, जिससे महत्वपूर्ण कानूनी और प्रक्रियात्मक चिंताएं पैदा होती हैं।
- असमान सामाजिक प्रभाव:** चिंताएं जताई गई कि यह कानून सहमति देने वाले वयस्कों, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों की व्यक्तिगत स्वायत्तता और पसंद की स्वतंत्रता को सीमित करके उन पर असमान रूप से प्रभाव डालता है।
- न्यायिक रोक की मांग:** गठबंधन ने आग्रह किया कि राज्य के कानून के प्रवर्तन को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह के राज्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों को दी गई चुनौतियों पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम (धर्मांतरण विरोधी कानून):** गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती या वित्तीय प्रलोभन के माध्यम से प्रभावित धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित और दंडित करने के लिए लागू किया गया राज्य विधान।

- **सबूत के बोझ का उलटाव (Reversal of Burden of Proof):** एक कानूनी मानक जहां निर्दोषता साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने के बजाय आरोपी व्यक्ति पर होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 25:** लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार की गारंटी देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वायत्तता और जीवन साथी चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है (के.एस. पुट्टास्वामी और शफीन जहां नजीर)।
- **संविधान का अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता का आदेश देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वैधानिक प्रावधान विशिष्ट समुदायों या व्यक्तियों के खिलाफ मनमाने या भेदभावपूर्ण राज्य कार्रवाई से बचें।

निष्कर्ष (Conclusion)

महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के आसपास का घर्षण कपटपूर्ण धर्मांतरण को रोकने और व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के बीच नाजुक संवैधानिक संतुलन को उजागर करता है। नियामक उपायों को निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ सुसंगत बनाना संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए अनिवार्य बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** भारतीय संविधान—मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14, 21 और 25), न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना का सिद्धांत।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** शासन और नागरिक समाज—गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), नागरिक समाज समूहों, दबाव समूहों की भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने वाले राज्य नियम।

8. घरेलू रक्षा उद्योग को मिसाइल प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Transfer of Missile Technology to Domestic Defence Industry)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **ऐतिहासिक निर्णय:** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन के लिए DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) को भारतीय रक्षा कंपनियों को देने की मंजूरी दी।
- **निजी उद्योग की भागीदारी:** यह कदम स्वदेशी मिसाइल उत्पादन को निजी खिलाड़ियों और MSMEs के लिए खोलता है, जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) जैसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) पर एकमात्र निर्भरता से दूर हटता है।

- **शामिल मिसाइल प्रणालियाँ:** इस पहल में अस्त्र (ASTRA) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रुद्रम (RUDRAM) एंटी-रेडिएशन मिसाइल, VSHORADS, नाग (NAG) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और नेवल एंटी-शिप मिसाइल (NASM) जैसी सामरिक प्रणालियाँ शामिल हैं।
- **सामरिक मिसाइलों का बहिष्कार:** रणनीतिक परमाणु-सक्षम मिसाइलें (जैसे, अग्नि और K-श्रृंखला) और विदेशी भागीदारों वाले संयुक्त उद्यम (जैसे कि ब्रह्मोस और MRSAM) इस ToT ढांचे के दायरे से बाहर रहेंगे।
- **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:** नीति का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाना, स्थानीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार करना और एक मजबूत रक्षा आपूर्ति श्रृंखला बनाना है।
- **R&D पर ध्यान केंद्रित करना:** घरेलू भागीदारों को औद्योगिक उत्पादन सौंपने से DRDO मुख्य रूप से अगली पीढ़ी की प्रणालियों के लिए उन्नत अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Transfer of Technology - ToT):** बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम करने के लिए एक शोध संस्था से औद्योगिक भागीदारों को तकनीकी जानकारी, इंजीनियरिंग डिजाइन, विनिर्माण प्रक्रियाओं और गुणवत्ता आश्वासन मानकों का साझाकरण।
- **पारंपरिक मिसाइल प्रणालियाँ (Conventional Missile Systems):** सैन्य अभियानों के दौरान वायु, भूमि या समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ गैर-परमाणु सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए निर्देशित सामरिक हथियार।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 298:** संघ और राज्य सरकारों को रक्षा खरीद और औद्योगिक साझेदारी के लिए व्यापार, व्यवसाय करने और अनुबंध करने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** भारत में रक्षा खरीद को नियंत्रित करती है, 'बाय (इंडियन-IDDM)' जैसी श्रेणियों और ToT प्रावधानों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल को प्राथमिकता देती है।
- **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951:** हथियारों और युद्ध सामग्री के उत्पादन में निजी क्षेत्र के प्रवेश सहित रक्षा विनिर्माण इकाइयों के लाइसेंस और विकास के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

घरेलू निजी उद्योग को DRDO-डिजाइन की गई पारंपरिक मिसाइलों के निर्माण की अनुमति देना रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करके, भारत अपने घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, आयात निर्भरता को कम करता है और अपने सशस्त्र बलों के लिए एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करता है।

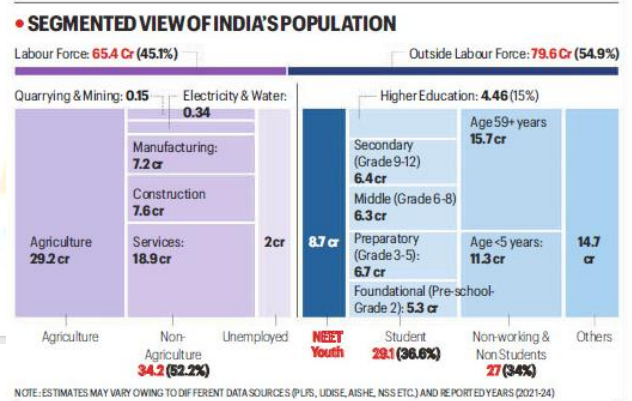
UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—रक्षा में विकास और उनके अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक का विकास।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन; विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ एवं उनका जनादेश।

9. नीति आयोग की रिपोर्ट ने सामान्य स्नातक डिग्रियों में रोजगार के कमजोर लिंक को चिह्नित किया (NITI Aayog Report Flags Weak Job Linkages in Generic Undergraduate Degrees)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- उच्च शिक्षा में संरचनात्मक बेमेल:** नीति आयोग की रिपोर्ट, *Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047*, उच्च शिक्षा और बाजार की मांगों के बीच एक गंभीर अलगाव को उजागर करती है, जिसमें केवल 8.25% स्नातक ही अपनी योग्यताओं के अनुरूप भूमिकाओं में कार्यरत हैं।
- उच्च शिक्षित बेरोजगारी दर:** स्नातक बेरोजगारी 13% पर है, जो स्नातक महिलाओं के बीच बढ़कर 20.4% हो जाती है—जो कि 3.2% की राष्ट्रीय समग्र बेरोजगारी दर से काफी अधिक है।
- सामान्य डिग्रियों में अत्यधिक संकेंद्रण:** भारत में 3.4 करोड़ स्नातक छात्रों में से 2 करोड़ से अधिक पारंपरिक बी.ए., बी.एससी., और बी.कॉम. कार्यक्रमों में नामांकित हैं, जिसमें अकेले बी.ए. में 1.13 करोड़ नामांकन हैं।
- NEET वर्ग को समझना:** रिपोर्ट NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी में 8.7 करोड़ युवाओं (15-29 वर्ष की आयु) की पहचान करती है, हालांकि नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि यह समूह मुख्य रूप से सक्रिय श्रम बल से बाहर के गैर-नौकरी चाहने वालों का प्रतिनिधित्व करता है।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति सामाजिक कलंक:** वैकल्पिक व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा मार्ग (जैसे ITI और डिप्लोमा पाठ्यक्रम) गहरे सामाजिक कलंक का सामना करते हैं, जिन्हें अक्सर माता-पिता और साथियों द्वारा कम भरोसेमंद, द्वितीयक विकल्पों के रूप में देखा जाता है।
- कौशल मजदूरी प्रीमियम (Skilling Wage Premium):** रिपोर्ट में उद्धृत बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के आंकड़े बताते हैं कि कुशल सामान्य स्नातकों को औसतन ₹29,000 प्रति माह का शुरुआती वेतन मिलता है, जबकि गैर-कुशल सामान्य स्नातकों को ₹22,000 प्रति माह मिलता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- NEET यूथ (Not in Education, Employment, or Training):** 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को शामिल करने वाला एक जनसांख्यिकी वर्गीकरण, जो वर्तमान में औपचारिक शिक्षा, सवेतन रोजगार, या संरचित कौशल विकास से बाहर हैं।
- शिक्षा-अंतर्निहित डिग्री कार्यक्रम (Apprenticeship-Embedded Degree Programmes - AEDP):** उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम जो व्यावहारिक रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए औपचारिक डिग्री ढांचे में सीधे संरचित, उद्योग-संरेखित कार्य शिक्षता (Apprenticeship) को एकीकृत करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 21A:** शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 41 (DPSP):** राज्य को काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेरोजगारी के मामलों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** बहु-विषयक सीखने और राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (NCrF) की वकालत करते हुए, मुख्यधारा की स्कूली और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की शिक्षित बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए डिग्री-केंद्रित साख से मांग-संचालित, परिणाम-संबद्ध कौशल मॉडल की ओर स्थानांतरित होने की आवश्यकता है। शिक्षुता-अंतर्निहित डिग्रियों को मुख्यधारा में लाना और हरित प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ पाठ्यक्रमों को संरेखित करना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** शिक्षा, मानव संसाधन और सरकारी नीतियों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार, संसाधनों को जुटाने, कौशल विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश से संबंधित मुद्दे।

10. सरल खनन कर मॉडल: राजकोषीय युक्तीकरण के माध्यम से राज्य के राजस्व का

विस्तार (Simpler Mining Tax Model: Expanding State Revenue Through Fiscal Rationalization)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **लाफर वक्र सिद्धांत (Laffer Curve Principle):** खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 का हालिया पारित होना आर्थर लाफर के आर्थिक सिद्धांत के अनुरूप है, जो यह दर्शाता है कि उच्च कर दरों को तर्कसंगत बनाने से समग्र उत्पादन बढ़ता है और राजस्व संग्रह का विस्तार होता है।
- **प्रतिस्पर्धी आवंटन की ओर बदलाव:** पिछले 12 वर्षों में, भारत का खनन क्षेत्र पारदर्शी ई-नीलामी के लिए अपारदर्शी, विवेकहीन आवंटन से बदल गया है, जिससे 2015 से खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए ₹7 लाख करोड़ से अधिक उत्पन्न हुए हैं।
- **राज्य राजस्व हिस्सेदारी की रक्षा:** अद्यतन राजकोषीय ढांचे के तहत, राज्य मुख्य राजस्व-साझाकरण सूत्र को बनाए रखते हैं, रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) निधियों के माध्यम से घरेलू खनिज निष्कर्षण से उत्पन्न प्रत्येक रुपये का 90 पैसा एकत्र करना जारी रखते हैं।
- **कर विखंडन से निपटना:** यह संशोधन एक जटिल परिदृश्य को संबोधित करता है जहां खनिज उत्पादकों को 14 अलग-अलग राज्य-स्तरीय करों, उपकरों और शुल्कों का सामना करना पड़ता था, जिससे एक एकीकृत, अनुमानित राष्ट्रीय खनिज बाजार का निर्माण हुआ।
- **औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:** राज्यों में गैर-प्रतिस्पर्धी और भिन्न कराधान को रोककर, यह सुधार महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों—जैसे कि इस्पात, सीमेंट, बिजली और विनिर्माण—को बढ़ी हुई इनपुट लागतों से बचाता है।



- रणनीतिक स्वायत्तता और आपूर्ति श्रृंखलाएं:** तर्कसंगत कर संरचनाएं महत्वपूर्ण खनिजों के दीर्घकालिक, पूंजी-गहन अन्वेषण को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच विदेशी मुद्रा की बचत होती है और आयातों पर निर्भरता कम होती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- लाफ़र वक्र (Laffer Curve):** कर दरों और कुल सरकारी कर राजस्व के बीच उल्टे-U (inverted-U) सैद्धांतिक संबंध को दर्शाने वाली एक आर्थिक अवधारणा, जिसका मानना है कि अत्यधिक उच्च कर दरों में कटौती से आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करके कुल राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
- जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation - DMF):** खनन से प्रभावित जिलों में स्थापित एक गैर-लाभकारी वैधानिक ट्रस्ट जो खनन संबंधी अभियानों से प्रभावित स्थानीय समुदायों के हित और लाभ के लिए काम करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- सातवीं अनुसूची (सूची I प्रविष्टि 54 और सूची II प्रविष्टि 23):** संसद को जनहित में कानून द्वारा समीचीन घोषित सीमा तक खानों और खनिज विकास को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है, जबकि राज्य केंद्रीय कानूनों के अधीन खानों को विनियमित करते हैं।
- अनुच्छेद 246 और प्रविष्टि 50 (सूची II):** खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, खनिज अधिकारों पर करों के संबंध में राज्य की विधायी क्षमता को नियंत्रित करता है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026:** खनिज कराधान को सुव्यवस्थित करता है, मनमाने राज्य उपकरणों को सीमित करने के लिए नियम-निर्माण तंत्र स्थापित करता है, और खनिज युक्त भूमियों पर राष्ट्रीय नियमन को मजबूत करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत के खनिज कराधान ढांचे को सरल बनाना दीर्घकालिक निवेशकों के लिए राजकोषीय पूर्वसूचनीयता को खनिज उत्पादक राज्यों के लिए स्थिर राजस्व प्रवाह के साथ संतुलित करता है। सहकारी संघवाद के साथ राष्ट्रीय बाजार एकीकरण का सामंजस्य यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू खनन वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे, जिससे संसाधन सुरक्षा और डाउनस्ट्रीम औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिले।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था—संसाधनों को जुटाना, राजकोषीय नीति, बुनियादी ढांचा, और विकास एवं निवेश मॉडल से संबंधित मुद्दे।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II एवं III:** संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, खनिज सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्वदेशीकरण।

11. CWMA ने कर्नाटक को कावेरी जल आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया (CWMA Directs Karnataka to Comply with Cauvery Water Order)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **जल निकासी का जनादेश:** कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने विनियमन समिति के आदेश का समर्थन किया, जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया, जो कुल 11.66 tmc ft होता है।
- **कम बहाव के लिए कर्नाटक की याचिका:** अपने कावेरी बेसिन क्षेत्र में गंभीर संकट का हवाला देते हुए, कर्नाटक ने जल निकासी को घटाकर 6,000 क्यूसेक प्रति दिन करने का अनुरोध किया, और कहा कि जलाशय में पानी का प्रवाह 30 साल के ऐतिहासिक औसत से 49.18% कम था।
- **तमिलनाडु का बकाया दावा:** तमिलनाडु ने CWMA से 23 अगस्त तक 17.49 tmc ft की संचित कमी को दूर करने का आग्रह किया, और 24 अगस्त से 7 सितंबर के बीच 28.386 tmc ft के संचयी प्रवाह की मांग की।
- **पुनर्मूल्यांकन की मांग:** कर्नाटक ने प्राधिकरण से एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने और बेसिन भंडारण स्तरों पर आगामी पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव का मूल्यांकन करने तक आगे के निर्देशों को स्थगित करने की अपील की।
- **बिलिगिंडलू में अनुपालन:** कर्नाटक ने बनाए रखा कि उसने 29 जुलाई से 23 अगस्त के बीच निर्धारित 15.940 tmc ft के मुकाबले 18.748 tmc ft जारी करके पूर्व CWMA आदेशों को पूरा किया, जिससे 2.807 tmc ft का अतिरिक्त निर्माण हुआ।
- **कृषि और घरेलू प्रभाव:** अनिवार्य पानी निकासी का उद्देश्य कावेरी डेल्टा में कुरुवई कृषि फसलों को बनाए रखना और पूरे तमिलनाडु में आवश्यक नगरपालिका पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority - CWMA):** कावेरी जल वितरण के संबंध में अंतिम फैसले और निर्णय को लागू करने के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय।
- **क्यूसेक और TMC फीट (Cusec and TMC Feet):** क्यूसेक जल प्रवाह दर (एक घन फीट प्रति सेकंड) को मापता है, जबकि एक tmc ft (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) एक कुल आयतन मीट्रिक का प्रतिनिधित्व करता है (जहां 24 घंटों में 11,574 क्यूसेक 1 tmc ft के बराबर होता है)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 262:** अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय जल बंटवारे को विनियमित करने के लिए CWMA और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) जैसी न्यायाधिकरण पीठों और कार्यकारी प्राधिकरणों को गठित करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का फैसला:** तटवर्ती राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) के बीच आवंटन शेयरों को अंतिम रूप दिया, और पुष्टि की कि अंतर-राज्यीय नदी का पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और इस पर पूर्ण राज्य संप्रभुता का दावा नहीं किया जा सकता है।



निष्कर्ष (Conclusion)

CWMA का निर्देश जलवायु परिवर्तनशीलता और वर्षा की कमी के बीच अंतर-राज्यीय नदी प्रणालियों के प्रबंधन की जटिलताओं को रेखांकित करता है। वैज्ञानिक रूप से कैलिब्रेटेड, संकट-साझाकरण सूत्र स्थापित करना तटवर्ती राज्यों के बीच आवर्ती कानूनी और राजनीतिक संघर्षों को रोकते हुए, डाउनस्ट्रीम कृषि आवश्यकताओं के साथ घरेलू पेयजल आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए आवश्यक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** भारतीय संविधान—संघीय ढांचा, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्यीय जल विवाद और वैधानिक नियामक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली (अनुच्छेद 262, CWMA)।
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, जल वैज्ञानिक सूखे के खिलाफ आपदा तैयारी, और मौसमी मानसूनी विविधताओं के तहत कृषि स्थिरता।

12. सूखा लचीलेपन के वैश्विक दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव (Fundamental Shift in Global Approach to Drought Resilience)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सूखा प्रबंधन में प्रतिमान बदलाव:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उलानबाटर, मंगोलिया में UNCCD COP17 मंत्रिस्तरीय वार्ता में प्रतिक्रियाशील आपदा राहत से सक्रिय, प्रौद्योगिकी-सक्षम लचीलेपन की ओर परिवर्तन का आह्वान किया।
- विकास की चुनौती के रूप में सूखा:** मंत्री ने जोर देकर कहा कि बढ़ती शुष्क परिस्थितियां अब सामयिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि विकास संबंधी चुनौतियां हैं जो जल सुरक्षा, वैश्विक खाद्य प्रणालियों, जैव विविधता और आर्थिक स्थिरता को बाधित करती हैं।
- कैचमेंट (जलग्रहण क्षेत्रों) का पुनरुद्धार:** भारत ने मृदा क्षरण को कम करने, जल धारण क्षमता बढ़ाने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए कैचमेंट और नदी तटीय वानिकी को प्राथमिकता देते हुए "प्रवाह से पहले, जंगल को पुनर्स्थापित करें" रणनीति की वकालत की।
- प्रौद्योगिकी-संचालित लचीलापन:** दृष्टिकोण उपग्रह आधारित सूखा आकलन, स्थानीयकृत प्रारंभिक चेतावनी निगरानी और अंतर-मंत्रालयी और राज्य-स्तरीय तैयारियों को गति देने के लिए भविष्य कहनेवाला प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने का आदेश देता है।
- वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्देश्य:** पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (COP17) ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए बाध्यकारी मार्गदर्शन पर बातचीत करने के लिए "भूमि की पुनर्स्थापना। आशा की पुनर्स्थापना" विषय के तहत 197 सदस्य देशों को एकत्रित किया।
- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** नीतियों का उद्देश्य संवेदनशील आबादी को आपदा के बाद की सहायता पर निर्भर रहने के बजाय सक्रिय रूप से पर्यावरणीय झटकों को झेलने के लिए सक्षम बनाना है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **UNCCD (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय):** 1994 में स्थापित, यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो सतत भूमि प्रबंधन को सीधे पर्यावरण संरक्षण और विकास से जोड़ता है।
- **सक्रिय सूखा लचीलापन (Proactive Drought Resilience):** एक शमन मॉडल जो पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होने से पहले सूखे के जोखिमों को कम करने के लिए भविष्य कहनेवाला निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना का उपयोग करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 48A:** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु शमन और संस्थागत सूखा प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

वैश्विक खाद्य और जल सुरक्षा की रक्षा के लिए एक सक्रिय भूमि पुनर्स्थापना और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रारंभिक चेतावनी मॉडल को अपनाना महत्वपूर्ण है। एकीकृत कैचमेंट प्रबंधन पर भारत का जोर सतत विकास के साथ पारिस्थितिक पुनर्स्थापना को जोड़ता है, जो बिगड़ते भूमि क्षरण और जलवायु-प्रेरित शुष्क दौर से निपटने के लिए एक लचीला खाका प्रदान करता है।

UPSC प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और आपदा प्रबंधन ढांचा।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते और वैश्विक शासन में UNCCD जैसे संयुक्त राष्ट्र निकायों की भूमिका।

AUGUST 26, 2026

